न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 47/2014

1. सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. श्री दीनदयाल पुत्र श्री लिखमाराम जाति ब्राह्मण साकिन 3 ए छोटी श्रीगंगानगर।
2. श्री हरिकृष्ण पुत्र श्री लिखमाराम जाति ब्राह्मण साकिन 3 ए छोटी श्रीगंगानगर।
3. श्री तेजपाल पुत्र श्री लिखमाराम जाति ब्राह्मण साकिन 3 ए छोटी श्रीगंगानगर।
4. श्रीमती सरोज पत्नि डूंगरराम जाति ब्राह्मण साकिन 3 ए छोटी श्रीगंगानगर।
5. कु. मीनाक्षी पुत्री डूंगरराम जाति ब्राह्मण साकिन 3 ए छोटी श्रीगंगानगर।
6. कु. पूनम पुत्री डूंगरराम जाति ब्राह्मण साकिन 3 ए छोटी श्रीगंगानगर।
7. श्री अभिषेक पुत्र डूंगरराम जाति ब्राह्मण साकिन 3 ए छोटी श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: उपस्थित अधिवक्ता ::–

1. श्री पैरोकार राज — प्रार्थी

– :: निर्णय ::– **दिनांक :– 30.11.2016**

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम चक 3 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1 ता 5/1.265, 7/2 = 0.089, 8 ता 10/0.759, कुल 2.113 हैक्टर नहरी अप्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार है।

उक्त खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से चक 3 ए छोटी के चक 3 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1 ता 5/1.265, 7/2 = 0.089, 8 ता 10/0.759, कुल 2.113 हैक्टर नहरी रकबा का उपयोग कृषि कार्य में न होकर मौके पर सड़के, आवासीय मकान एवम् प्लाट काटकर अकृषि कार्य में किया जा रहा है।

उक्त वर्णित आराजी काबिले काश्त है, केवल मात्र कृषि कार्य के लिये दी गई है इसे बिना सक्षम अधिकारी से सम्परिवर्तन कराये/स्वीकृति प्राप्त किये अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि उपयोग में लेना गैर कानूनी है।

अप्रार्थीगण के नाम से चक 3 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1 ता 5/1.265, 7/2 = 0.089, 8 ता 10/0.759, कुल 2.113 हैक्टर नहरी रकबा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का रामनगर अनुसार बिना स्वीकृति/सम्परिवर्तन कराये

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 2

अकृषि उपयोग में किया जा रहा है। वाद पत्र के साथ में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपना शपथपत्र, सम्बन्धित पटवारी हल्का की रिपोर्ट, खसरा गिरदावरी एंव जमाबन्दी की प्रति सलंग्न की है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी बाद तामिल उपस्थित नहीं आनें पर दिनांक 07.10.2014 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तदोपरान्त दिनांक 06.10.2015 को पैरोकार राज द्वारा दिनांक 03.09.2016 के सीमा सन्देश अखबार में नोटिस को साया करवानें जानें की प्रति पेश की गई परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं आनें के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 22.12.2015 को पैरोकार राज उपस्थित आकर पटवारी रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार चक 3 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1 ता 5/1.265, 7/2 = 0.089, 8 ता 10/0.759, कुल 2.113 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में नहरी भूमि दर्ज है। मौके पर डामर की सड़के बनी हुई है। विद्युत पोल लगे हुए है। व कहीं कहीं आवासीय मकान आबाद है। उक्त भूमि का उपयोग बिना सक्ष्म अधिकारी की अनुमति के अकृषि कार्य हेतु किया जा रहा है।

दिनांक 15.11.2016 को पैरोकार राज उपस्थित आये बहस सुनी गई दौरानें बहस पैरोकार राज द्वारा अपनें वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए पटवारी रिपोर्ट के अनुसार कथन किया कि वाद पत्र मं वर्णित भूमि में मौके पर कृषि कार्य न होकर बिना सक्ष्य अधिकारी की अनुमति के अकृषि गतिविधिया की जा रही है। अतः वाद स्वीकार किया जाकर उक्तभूमि को रकबा राज घोषित किया जावे।

हमने प्रस्तुत वाद पत्र का गहन अवलोकन किया। वाद पत्र में वर्णित उक्त विवादास्पद भूमि पर कृषि जोत का कार्य नहीं होकर अकृषि उपयोग कार्य हो रहा है। बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिये मौके पर प्लाट काटकर/सडके बनाकर आदि का कार्य गैरकृषि कार्य की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी द्वारा खातेदारी शर्तो का स्पष्ट उल्लघंना किये जाने के कारण वाद पत्र पोषणीय है।

अतः वाद पत्र स्वीकार करते हुऐ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत चक 3 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1 ता 5/1.265, 7/2 = 0.089, 8 ता 10/0.759, कुल 2.113 हैक्टर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर बहक सरकार (सिवाय चक) घोषित की जाती है।

उक्त अधिग्रहण शुदा भूमि के सम्बंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे उक्त भूमि को अपने कब्जा में लेकर राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाई जानी सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद रिपोर्ट तहसील दाखिल दफ्तर हो

आदेश आज दिंनाक 30.11.2016 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर।